रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1647] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 2014/श्रावण 31, 1936
No. 1647] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 2014/SHRAVANA 31, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2014

का.आ. 2116(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप–धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2629(अ), तारीख 29 अगस्त, 2013 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड–3, उप–खण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के 9.200 कि.मी. से 50.000 कि.मी. (नागपुर–कोंढाळी सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौडा करने/चार लेन का बनाने), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबध्द अनुसूची में विर्निदिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप–धारा (3) के अधीन तारीख 19 दिसम्बर, 2013 को "हितवाद" अंग्रेजी दैनिक और "दैनिक लोकमत" मराठी दैनिक दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप–धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विर्निदिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप–धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विर्निदिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के 9.200 कि.मी. से 50.000 कि.मी. तक (नागपुर–कोंढाळी सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	प्रकार	प्रकृति	क्षेत्रफल चौ.मि.	भूस्वामीयों/हितबद्व व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नागपुर	नागपुर (ग्रामीण)	सातनवरी	115	निजी	कृषि	0.05	श्री मारोती देवस्थान सातनवरी तर्फे अध्यक्ष श्री के.बी. बिरे

[फा. सं. भाराराप्रा/बिओटी/11013/21/2014]
माया प्रकाश, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2014

S.O. 2116(E).—Whereas by the notification of Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, No. S.O. 2629(E), dated the 29th August, 2013 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (ii) and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four laning, etc.) maintenance, management and operation of National Highway No. 6, in the stretch of land from Km. 9.200 to Km.50.00 (Nagpur – Kondhali Section) in the District Nagpur in the State of Maharashtra.

And whereas the substance of the said notification has been published in "The Hitvada" English Daily and in "Dainik Lokmat" Marathi Daily, both dated the 19th December, 2013 under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas no objections has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 9.200 to Km. 50.000 (Nagpur- Kondhali Section) on the National Highway No. 6 in the State of Maharashtra.

Serial Number	Name of the District	Name of the Tehsil	Name of the Village	Survey Number	Type of land	Nature of land	Area (in Hectares)	Name of the land owner/interested persons
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Nagpur	Nagpur (Gramin)	Satnavri	115	Private Land	Agriculture	0.05	Shri Maroti Devsthan Satnavri through President Shri K.B. Bire

[F. No. NHAI/BOT/11013/21/2014]
MAYA PRAKASH, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.